छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 80/2006</u>

श्री रमेश कुमार अग्रवाल,
सत्यम कुंज,
नया गंज, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... **अपीलार्थी**

विरूद्ध

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ.
कार्यालय कलेक्टर, जिला कार्यालय
राजनांदगांव (छ.ग.)

2. श्री सुनील जैन,
तत्कालीन जन सूचना अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
रायगढ.
वर्तमान संयुक्त कलेक्टर,
जिला कार्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

3. श्री एस. एन. राठौर,
तत्कालीन जन सूचना अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
रायगढ. .... **प्रतिअपीलार्थीगण**
वर्तमान अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)

:: <u>आदेश</u> ::

(दिनांक 08 नवम्बर 2006)

अपीलार्थी श्री रमेश कुमार अग्रवाल निवासी–रायगढ़ के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ के आदेश दिनांक 13–03–2006 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 14–12–2005 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवेदन पत्र देकर मेसर्स जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़ के द्वारा उद्योग के विस्तार हेतु ग्राम गोरखा, सरायपाली एवं कलमी की भूमि अधिग्रहण से संबंधित जानकारी चाही थी, साथ ही भूमि का निरीक्षण भी चाहा था। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को दिनांक 10–01–2006 को सूचित किया गया कि वे 27/– रूपए अभिलेख शुल्क जमा कर

वांछित जानकारी प्राप्त करें। इसी दिनांक को ही पटवारी हल्का नंबर–14 ओम प्रकाश राठिया को भी सूचित किया गया कि वे आवेदक को दिनांक 14–01–2006 को परिवर्तित भूमि का निरीक्षण करावें तथा प्रतिलिपि आवेदक को भी दी गई। अपीलार्थी के 31–01–2006 को अपीलार्थी को सूचित करते हुए पटवारी को निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 4–2–2006 को अपीलार्थी को निरीक्षण करावें। अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 13–3–2006 को हल्का पटवारी के द्वारा निरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये। अपीलार्थी ने पूर्व में निरीक्षण अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण किये जाने से इंकार किया था। अपीलार्थी ने अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 31–7–2006 को प्रतिअपीलार्थी नोटिस देने के बाद भी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरूद्ध 20,000/– रूपए की शास्ति का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये तथा अपीलार्थी को जानकारी 15 दिन में निःशुल्क प्रदान करने एवं 250/– रूपए की क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा देने के आदेश दिये गये। दिनांक 12–9–2006 को अनुविभागीय अधिकारी श्री ए. के. अग्रवाल उपस्थित हुए तथा उन्होंने बतलाया कि वास्तविक विलम्ब श्री सुनील जैन तथा श्री एस. एन. राठौर, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में हुआ है, अतः आयोग के द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को 10,000–10,000 रूपए की शास्ति का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। श्री ए. के. अग्रवाल वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी को पूर्व में जारी नोटिस निरस्त किया गया। आयोग के समक्ष श्री सुनील जैन ने दिनांक 31–10–2006 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिया। श्री एस0एन0राठौर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा भी उत्तर प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों एवं प्रतिअपीलार्थियों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। श्री सुनील जैन, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 27–12–2005 को आवेदन शुल्क जमा किया था। अतः 30 दिन के अंदर अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क के रुप में अतिरिक्त फीस जमा करने के लिए दिनांक 19–01–2006 को सूचित किया गया। अतः उनके द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदक को जवाब दिया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी अपीलार्थी ने आवेदन शुल्क 14–12–2005 को जमा किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तथा आयोग के समक्ष भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रकरण में आवेदन शुल्क का चालान 27–12–2005 के दिनांक का है। प्रतिअपीलार्थी ने चूंकि अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया, अतः उसे निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई। जानकारी तैयार हो चुकी थी। अपीलार्थी भूमि निरीक्षण के लिए भी पटवारी के द्वारा संपर्क स्थापित किये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः निरीक्षण भी नहीं किया गया। प्रतिअपीलार्थी श्री एस. एन. राठौर ने भी अपने जवाब में बतलाया कि उसके कार्यावधि में इस प्रकरण से संबंधित कोई भी जानकारी अपीलार्थी ने नहीं मांगी, अतः वह इसके लिए दोषी नहीं है। अपीलार्थी का तर्क यह है कि उसके द्वारा दिनांक 14–12–2005 को ही कार्यालय में आवेदन शुल्क जमा किया गया था। जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा 30 दिन के अंदर उसे कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई

पत्र दिया गया, अतः इन पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये, जिससे स्पष्ट हो सके कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक को अथवा 19–12–2005 को कार्यालय में 10/– रूपए आवेदन शुल्क जमा किया है। अभिलेख के अनुसार दिनांक 27–12–2005 को चालान से 10/– रूपए आवेदन शुल्क जमा होना पाया जाता है। अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क जमा करने का सूचना पत्र क्रमांक 150 दिनांक 19–01–2006 को जन सूचना अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी किया गया, जो कि आवेदक की ओर से श्री धनंजय अग्रवाल के द्वारा प्राप्त किया गया। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी अपीलार्थी ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया। भूमि के निरीक्षण के लिए भी पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह अपीलार्थी के निवास स्थान पर गया, किन्तु अपीलार्थी ने पूजा करने में व्यस्त होने के कारण तथा अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण निरीक्षण करने के प्रति अनिच्छा बतलाई।

4/ प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया गया। अतः उसे उद्योग हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकी। यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत भूमि के निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु उसके पश्चात् भी जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने सद्भावनावश अपीलार्थी को भूमि निरीक्षण कराये जाने के लिए पटवारी को निर्देशित किया था। पटवारी के द्वारा सम्पर्क करने पर भी अपीलार्थी भूमि के निरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसकी रिपोर्ट पटवारी ने अनुविभागीय अधिकारी को दी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलीय अधिकारी को दिनांक 04–04–2006 को अपीलार्थी के द्वारा भूमि निरीक्षण नहीं करने के संबंध में पटवारी के रिपोर्ट की सूचना दी। अतः अपीलार्थी को श्री सुनील जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध न कराने का आरोप सिद्ध नहीं होता है, अतः श्री सुनील जैन, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध जारी शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

5/ श्री एस. एन. राठौर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी का यह कथन है कि उनकी कार्यावधि में इस प्रकरण से संबंधित कोई जानकारी अपीलार्थी के द्वारा नहीं मांगी गई, और न ही दी गई, किन्तु श्री राठौर को आयोग के द्वारा जारी नोटिस प्राप्त हो गया था तथा वे नोटिस प्राप्ति के समय जन सूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। वे सूचना उपरांत भी आयोग में उपस्थित नहीं हुए, उन्हें उपस्थित होकर वस्तुस्थिति अवगत कराना था। आयोग के द्वारा 15 दिन में निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के उन्हें निर्देश दिये गये थे। अतः उन्हें इस संबंध में आयोग के द्वारा जारी किये गये पत्र के उत्तर में जवाब प्रस्तुत करना था। आयोग के नोटिस में संलग्नक प्राप्त न होने के कारण जवाब नहीं दिये जाने का उत्तर संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। यद्यपि उनके द्वारा जानबूझकर आयोग के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है, अतः श्री राठौर के विरूद्ध जारी किया गया शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है, किन्तु भविष्य के लिए उन्हें सचेत किया जाता है।

6/ चूँकि अपीलार्थी को आयोग के द्वारा निर्देश के बाद भी जानकारी नहीं दी गई, जिससे कि अपीलार्थी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहूँची है, अतः पूर्व में आयोग के

द्वारा अपीलार्थी को 250/– रूपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश यथावत् रखा जाता है। कलेक्टर, रायगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पूर्व आदेशानुसार आवेदक को क्षतिपूर्ति प्रदान करें। अधिनियम में स्थल निरीक्षण का कोई प्रावधान न होने के कारण स्थल निरीक्षण अपीलार्थी के द्वारा कराये जाने का आवेदन नियमानुसार मान्य नहीं किया जाता।

6/ अपीलार्थी को भूमि अधिग्रहण से संबंधित जानकारी एवं नक्शे की प्रति अभी तक नहीं दी गई है। अतः जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अब उक्त जानकारी 15 दिन के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करें।

7/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 8–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

5/ प्रकरण से स्पष्ट है कि श्री एस. एन. राठौर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उनकी कार्यावधि में इस प्रकरण से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांगी गई, और न ही दी गई। अतः वे भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, अतः इनके विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।